



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 184-2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2021 (KARTIKA 19, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

आदेश

दिनांक 10 नवम्बर, 2021

संख्या 63/जी.एस.टी.-2.- चूंकि हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 174(1) (i) के अधीन हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) के उपबन्धों को धारा 174 की उपधारा (2) के अधीन यथा व्यावृत्त कार्यवाहियों के अधीन सिवाय उन मालों के संबंध में, जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में शामिल थे, निरसित किया गया था;

और चूंकि हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 के नियम 25 के उप-नियम (7) (i) में उपबन्ध हैं कि

“जहां करार प्रारम्भ के बाद आशयित क्रेता के साथ विकासक द्वारा निष्पादित किया गया है किन्तु निर्माण के समापन से पूर्व विक्रय का कराधेय आवर्त करार का कुल मूल्य होगा, जिसे भूमि की लागत तथा इस नियम के अनुसार अवधारित श्रम, सेवा तथा सदृश प्रभारों को यथा अनुपात राशि द्वारा घटाया जाएगा,”

और चूंकि स्वीकार्य रूप से, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 के नियम 25 का उक्त उप-नियम (7) (i), मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 26 सितंबर, 2013 को दिये गये निर्णय के अनुरूप नहीं पाया गया जहां तक हो कराधेय आवर्त के मूल्य में आशयित क्रेता के साथ किये गये समझौते से पूर्व कार्य संविदा में सम्मिलित मालों का मूल्य शामिल नहीं हो सकता है;

इसलिए अब हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 174 की उप-धारा (2) के तृतीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. यह आदेश हरियाणा माल और सेवा कर (कठिनाईयों का निवारण) आदेश, 2021, कहा जा सकता है।
2. कठिनाईयों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 के नियम 25 के उपनियम 7 (i) के अनुसार आशयित क्रेता से करार करने से पूर्व कार्य संविदा के निष्पादन में उपगत विक्रय के कराधेय आवर्त, सामग्री की लागत तथा अन्य श्रम/सेवाएं तथा सदृश प्रभार भी (इस नियम के अनुसार अवधारित) करार के कुल मूल्य से उपबन्धित कटौतियों के अतिरिक्त कम किये जाएंगे।
3. यह आदेश 17 मई, 2010 से लागू होगा।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Order

The 10th November, 2021

No. 63/GST-2.— Whereas under clause (i) of sub-section (1) of section 174 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) the provisions of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003) except in respect of goods included in the Entry 54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution of India stood repealed subject to the actions as saved under sub-section (2) of section 174;

And whereas clause (i) of sub-rule (7) of rule 25 of the Haryana Value Added Tax Rules, 2003 provides that-

"Where an agreement is executed by the developer with the intended purchaser after commencement but before completion of construction, the taxable turnover of sale shall be the total value of agreement, as reduced by cost of land and pro-rata amount of labour, services and like charges, determined in accordance with this rule.";

And Whereas admittedly, clause (i) of sub-rule (7) of rule 25 of the Haryana Value Added Tax Rules, 2003 is not in conformity with the law laid down by the Hon'ble Supreme Court of India in the case of M/s Larson and Tubro Limited Vs. State of Karnataka and others decided on the 26th September, 2013 so far as the value of taxable turnover cannot include the value of goods incorporated in the works contract before the agreement executed with the intended buyer;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (2) of section 174 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Haryana Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2021.
2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that as per the clause (i) of sub-rule (7) of rule 25 of the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, for determining the taxable turnover of sale, the cost of material and other labour/services and like charges incurred in the execution of works contract before entering into the agreement with the intended purchaser, shall also be reduced besides the already provided deductions from the total value of agreement.
3. This Order shall come into force with effect from the 17th May, 2010.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.